



प्रेस नोट

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

दिनांक 11.01.23

स्वाट टीम, क्राईम ब्रॉन्च कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा रू0 15000/- का वाँछित/इनामी अपराधी गिरफ्तार

थाना कविनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-390/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त आदेश उर्फ लालू शर्मा पुत्र राजकुमार निवासी सूरजपुर तहसील इन्दौर कांगडा हाल पता ग्राम लोहड़ा थाना जानी जनपद मेरठ लगातार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर 15,000/-रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

दिनांक-11/01/2023 को क्राईम ब्रॉन्च कमिश्नरेट गाजियाबाद टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना कविनगर के मु0अ0सं0-390/22 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट में वाँछित एवं रू0 15000/- के पुरस्कार घोषित अभियुक्त आदेश उर्फ लालू शर्मा पुत्र राजकुमार निवासी सूरजपुर तहसील इन्दौर कांगडा हाल पता ग्राम लोहड़ा थाना जानी जनपद मेरठ को थाना कविनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

आदेश उर्फ लालू शर्मा पुत्र राजकुमार निवासी सूरजपुर तहसील इन्दौर कांगडा हाल पता ग्राम लोहड़ा थाना जानी जनपद मेरठ

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

अभियुक्त पूर्व से मु0अ0सं0-1512/22 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कविनगर पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में वाँछित एवं रू0 15000/- का पुरस्कार घोषित / वाँछित अपराधी है।

आपराधिक इतिहास-

- (1) मु0अ0सं0 390/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद
- (2) मु0अ0सं0 1641/21 धारा 420,467,468,471,34 भादंवि थाना कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम-

स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद एवं थाना कविनगर पुलिस टीम

स्वाट टीम, क्राईम ब्रॉन्च कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा रू0 25000/- का वाँछित/इनामी अपराधी गिरफ्तार

थाना इन्दिरापुरम पर पंजीकृत मु0अ0सं0-1512/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त बलराम गंगवार पुत्र भूदेव गंगवार निवासी ग्राम सिमरिया ताराचन्द्र तहसील सदर खेड़ा जनपद पीलीभीत लगातार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर 25,000/-रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

दिनांक-11/01/2023 को क्राईम ब्रॉन्च कमिश्नरेट गाजियाबाद टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना इन्दिरापुरम के मु0अ0सं0-1512/22 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट में वाँछित एंव रू0 25000/- के पुरस्कार घोषित अभियुक्त बलराम गंगवार पुत्र भूदेव गंगवार निवासी ग्राम सिमरिया ताराचन्द्र तहसील सदर खेड़ा जनपद पीलीभीत को थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

बलराम गंगवार पुत्र भूदेव गंगवार निवासी ग्राम सिमरिया ताराचन्द्र थाना बरखेड़ा तहसील सदर खेड़ा जनपद पीलीभीत

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

अभियुक्त पूर्व से मु0अ0सं0-1512/22 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना इन्दिरापुरम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में वाँछित एंव रू0 25000/- का पुरस्कार घोषित / वाँछित अपराधी है।

आपराधिक इतिहास-

- (1) मु0अ0सं0 1512/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद
- (2) मु0अ0सं0 289/22 धारा 67 आईटी एक्ट थाना सिहानीगेट कमिश्नरेट गाजियाबाद
- (3) मु0अ0सं0 301/22 धारा 67 आईटी एक्ट थाना सिहानीगेट कमिश्नरेट गाजियाबाद
- (4) मु0अ0सं0 303/22 धारा 66डी आईटी एक्ट थाना सिहानीगेट कमिश्नरेट गाजियाबाद
- (5) मु0अ0सं0 425/22 धारा 384,420,467,468,471,120बी भादवि व 66डी/67/67ए आईटी एक्ट थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद
- (6) मु0अ0सं0 756/22 धारा 309,384,420,467,468,471,504,507,354सी,120बी,34 भादवि व 66डी/67/67ए आईटी एक्ट थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद
- (7) मु0अ0सं0 760/22 धारा 309,384,420,467,468,471,504,507,354सी,120बी,34 भादवि व 66डी/67/67ए आईटी एक्ट थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद
- (8) मु0अ0सं0 104/22 धारा 384,120बी भादवि थाना निवाडी कमिश्नरेट गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम-

स्वाट टीम, क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम के चेकिंग के दौरान एक शातिर चोर गिरफ्तार

दिनांक 10.01.2023 को थाना सिहानीगेट पुलिस टीम के चेकिंग के दौरान एक शातिर चोर दीपक उर्फ चेतन कुमार पुत्र श्री शिव कुमार निवासी म0नं0 535, भाटियामोड, शिव मन्दिर दौलतपुरा थाना सिहानीगेट गाजियाबाद को नासिरपुर फाटक के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से एक चोरी का ए.सी.एम. बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में मु.अ.सं. 845/22 धारा 349,411,427 भादवि थाना सिहानीगेट गाजियाबाद पंजीकृत है।

आपराधिक इतिहास

1. दीपक उर्फ चेतन कुमार पुत्र श्री शिव कुमार

- मु0अ0सं0 845/2022 धारा 379/411/427 भादवि, थाना सिहानीगेट, कमिश्नरेट गाजियाबाद
- मु0अ0सं0 797/2017 धारा 13 जुआ अधि. थाना सिहानीगेट, कमिश्नरेट गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम

थाना लोनी पुलिस द्वारा 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस व फर्जी नम्बर प्लेट लगी मोटर साईकिल बरामद

दिनांक 11-01-2023 को थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान चार खम्बा वाली गली के सामने बैरियर चौकी क्षेत्र कस्बा थाना लोनी गाजियाबाद से 02 अभियुक्त 1. मोईन पुत्र जरार पुत्र निवासी सुएब जुबली पब्लिक स्कूल, सुलंतान नगर थाना लोनी गाजियाबाद 2. आमिर पुत्र इस्माईल निवासी पूर्वी मुस्तफाबाद लोनी गाजियाबाद को एक फर्जी नम्बर प्लेट लगी केटीएम 200 मोटर साईकिल व एक अदद तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस के गिरफ्तार किया गया। मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण -

1. मोईन पुत्र जरार पुत्र निवासी सुएब जुबली पब्लिक स्कूल, सुलंतान नगर थाना लोनी गाजियाबाद
2. आमिर पुत्र इस्माईल निवासी पूर्वी मुस्तफाबाद लोनी गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 39/23 धारा 482 भादवि व 3/25 आर्म एक्ट थाना लोनी गा0बाद बनाम आमिर व मोईन उपरोक्त
2. मु0अ0सं0 231/21 धारा 380/411 भादवि थाना लोनी बनाम मोईन उपरोक्त
3. मु0अ0सं0 369/21 धारा 414 भादवि थाना लोनी बनाम मोईन उपरोक्त
4. मु0अ0सं0 366/21 धारा 3/25 आर्म एक्ट थाना लोनी बनाम मोईन उपरोक्त
5. मु0अ0सं0 357/21 धारा 392/411 भादवि थाना लोनी बार्डर बनाम मोईन उपरोक्त

बरामदगी का विवरण:-

1. एक तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर
2. एक फर्जी नम्बर प्लेट लगी मोटर साईकिल

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना लोनी पुलिस टीम

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा सट्टे की खाई बाडी करते हुए 02 अभियुक्त गिरफ्तार

सुबोध जैन पुत्र सुमन्त कुमार जैन नि0फफराना रोड श्री श्माय सिटी म0न0 ए-8 तहसील मोदीनगर थाना मोदीनगर गाजियाबाद द्वारा दिनांक 02.01.2023 को श्रीमान ACP महोदय को एक प्रार्थना पत्र देते हुए अवगत कराया कि संचित पुत्र प्रमोद कुमार नि0 गेझा थाना परतापुर जनपद मेरठ द्वारा उसे डरा धमकाकर 08 लाख रुपये की रंगदारी मांगी जा रही है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की गोपनीय रूप से जांच की गयी तो जांच के दौरान सट्टे की खाई बाडी के पैसे के लेन देने को लेकर विवाद होना संज्ञान में आने पर आवेदक एवं आरोपी पर दृष्टि रखी जा रही थी तभी दिनांक 10.01.2023 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि सुबोध जैन तथा संचित कुमार आज फिर रुकमणी मार्केट मोदीनगर में सट्टे की खाई बाडी कर रहे हैं इस सूचना पर थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा दोनों अभियुक्त गणों को सट्टे की खाई बाडी करते हुए समय करीब 18.30 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम पता.....

1. सुबोध जैन पुत्र सुमन्त कुमार जैन नि-ए 0न0फफराना रोड श्री श्माय सिटी म08 तहसील मोदीनगर थाना मोदीनगर गाजियाबाद
2. संचित पुत्र प्रमोद कुमार नि0 गेझा थाना परतापुर जनपद मेरठ

बरामदगी का विवरण

1-1520 रुपये नकद सट्टा व दो अदद मोबाइल

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0- 15/23 धारा 13 जी एक्ट थाना मोदीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम

